न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

1. अपील / टी.ए. / 695 / 2006 / जोधपुर

1. **गुणेशाराम पुत्र श्री सुखाराम (मृतक) के कायम मुकाम :–**
   1 / 1. जोराराम)
   1 / 2. लिखमाराम)
   1 / 3. भूराराम) पिसरान गुणेशाराम जाति जाट निवासी
   1 / 4. सोनाराम) ग्राम रूपाणा लोहावट तहसील फलोदी
   1 / 5. झमकु) जिला जोधपुर।
   1 / 6. अच्चु)
   1 / 7. मोहनी)
   1 / 8. अन्नू)
2. हीरा देवी पत्नी श्री भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम रूपाणा जेताणा (लोहावट) तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1. सिरदारा राम पुत्र श्री माणकराम
2. जगदीश पुत्र श्री जेठाराम
3. तुलसी पत्नी श्री जेठाराम **(मृतक नाम तर्क)**
4. बरजू देवी पुत्री श्री जेठाराम
5. फूसाराम पुत्र श्री खींयाराम
6. गोगी पत्नी श्री माणकराम **(मृतक नाम तर्क)**
7. माडू बाई पुत्री श्री माणकराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रूपाणा जैताना (लोहावट) तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

....रेस्पोन्डेन्ट्स

2. अपील / टी.ए. / 696 / 2006 / जोधपुर

1. **गुणेशाराम पुत्र श्री सुखाराम (मृतक) के कायम मुकाम :–**
   1 / 1. जोराराम)
   1 / 2. लिखमाराम)
   1 / 3. भूराराम) पिसरान गुणेशाराम जाति जाट निवासी
   1 / 4. सोनाराम) ग्राम रूपाणा लोहावट तहसील फलोदी
   1 / 5. झमकु) जिला जोधपुर।
   1 / 6. अच्चु)

अपील/टी.ए./695/2006/जोधपुर

1/7. मोहनी)
1/8. अन्नू)

2. हीरा देवी पत्नी श्री भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम रूपाणा जेताणा (लोहावट) तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री जेठाराम
2. बरजू देवी पुत्री श्री जेठाराम
3. तुलसी पत्नी श्री जेठाराम **(मृतक नाम तर्क)**
4. गोगी पत्नी श्री माणकराम **(मृतक नाम तर्क)**
5. सिरदारा राम पुत्र श्री माणकराम
6. माडू बाई पुत्री श्री माणकराम
7. फूसाराम पुत्र श्री खींयाराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रूपाणा जैताना (लोहावट) तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

....रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

—

उपस्थितः—

श्री दुनी चन्द : अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री अमृतपाल सिंह वानर : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
श्री शाहबुद्दीन : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—

निर्णय

दिनांकः 30/8/2018

अपीलार्थीगण गुणेशाराम वगैरह द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 12/12/2005 (प्रकरण संख्या 72/2005 उनवानी सिरदारा राम बनाम गुणेशाराम वगैरह एवं

अपील/टी.ए./695/2006/जोधपुर

प्रकरण संख्या 78/2005 उनवानी जगदीश वगैरह बनाम गोगी व अन्य) से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई हैं। जिनके द्वारा सहायक कलेक्टर, फलोदी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28/6/2004 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक स्वीकार करते हुए पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरणों को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार, फलोदी से दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में व हस्ताक्षर सहित बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जावें एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात विभाजन बाबत अंतिम डिक्री पारित की जावें। दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु एवं विधिक कानूनी बिन्दु समान होने से हमारे द्वारा दोनों ही प्रकरणों का निस्तारण एक ही समेकित निर्णय के द्वारा एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा हैं, निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जावें। दौराने अपील अपीलार्थी गुणेशाराम हो जाने पर उनके कायम मुकाम जोराराम वगैरह को रिकॉर्ड पर लिया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विद्वान सहायक कलेक्टर, फलोदी ने अपने निर्णय दिनांक 28/6/2004 के द्वारा वाद में डिक्री जारी की थी। किन्तु रेस्पोडेन्ट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के सामक्ष प्रस्तुत की और उसके साथ निर्णय की डिक्री अपील के साथ प्रस्तुत नही की इसलिये अपील संधारण योग्य नहीं थी। विद्वान अदालत मातहत ने इस बात पर गौर नहीं किया कि परीक्षण न्ययालय ने अंतिम डिक्री जारी करने के पश्चात सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया तत्पश्चात मौके पर बटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति नहीं की गई। तहसीलदार द्वारा बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करते समय रेस्पोडेन्ट एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित थे, उन्होंने कोई एतराज प्रकट नही किया। लेकिन इसके बावजूद भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने नियम 17 से 21 की पालना नहीं करना मानते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने में भारी विधिक भूल की है। परीक्षण न्यायालय द्वारा अंतिम डिकी जारी करते समय प्रताप पुत्र श्री अणदाराम द्वारा अपनी 45 बीघा भूमि का बेचान कर दिया था तथा अधीनस्थ न्यायालय

अपील/टी.ए./695/2006/जोधपुर

द्वारा चारों क्रेताओं को भूमि का बटवाड़ा कर आराजी का कब्जा भी सौंप दिया था फिर भी रेस्पोडेन्ट ने क्रेताओं को अपील में पक्षकार नहीं बनाया तथा न ही राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया। उनका तर्क है कि दिनांक 30/1/2006 को जो फर्द मौका बनाई गई थी उसमें सभी के हस्ताक्षर थे और इसके पश्चात दोनों पक्षों ने इस बटवाड़े को स्वीकार कर लिया। जेठाराम की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र जगदीश एवं सिरदारा राम ने अपनी बहिन एवं मां से हक त्याग भी करवा लिया था अतएवं उन्होंने इस बटवाड़े को स्वीकार कर लिया। ऐसी स्थिति में उन्हें अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील करने का अधिकार ही नहीं रहा। वक्त बहस अपीलार्थीगण द्वारा एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमें सहायक कलेक्टर, फलोदी द्वारा जारी अंतिम डिक्री की पालना में नामान्तरकरण संख्या 273 खोला गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 312 प्रस्तुत किया जो रिलीज डीड के आधार पर भरा गया था। उन्होंने बहस के अंत में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को अपास्त करते हुए सहायक कलेक्टर, फलोदी द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा जावें।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का घोर विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री में पारित निर्देशों की पालना में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जानी चाहिये परन्तु इसके विपरीत तहसीलदार की बजाय गिरदावर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया, जिस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित कर दी, जो विधि विरूद्ध थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रकरणों को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने संबंधी विधिसम्मत आलोच्य निर्णय पारित किये गये है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में 2017(1) आर.आर.टी. पेज 689 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपीलें सारहीन होने से निरस्त की जावें।

अपील/टी.ए./695/2006/जोधपुर

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक कलेक्टर, फलोदी के न्यायालय में वादी जेठाराम द्वारा ग्राम लोहावट जाटाबास तहसील फलोदी स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 122, 311, 313, 128, 970, 972 एवं 8 में अपना 1/4 हिस्सा मानते हुए ने एक नियमित वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के अभिकथनों एवं जवाबदावे के आधार पर तीन तनकीयात कायम करते हुए उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर दिनांक 31/10/2001 को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खरिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर वादी जेठाराम द्वारा राजस्थान कारश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायाालय में अपील संख्या 55/2002 उनवानी जेठाराम बनाम माणकराम के कायम मुकाम गोगी वगैरह प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 26/7/2003 को आराजी खसरा नम्बर 128, 970, 972 के संबंध में खारिज कर दी गई तथा शेष खसरा नम्बर 122, 311 एवं 313 व 8 के संबंध में अपील स्वीकार करते हुए राजस्व अभिलेख में पक्षकाराान के दर्ज हिस्से अनुसार तहसीलदार, फलोदी की उपस्थिति में बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर अंतिम डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। इस निर्णय की पालना में सहायक कलेक्टर, फलोदी द्वारा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28/6/2004 पारित की गई। उक्त अंतिम डिक्री की अपील संख्या 72/2005 उनवानी सिरदाराम बनाम गुणेशाराम तथा अपील संख्या 78/2005 उनवानी जगदीश वगैरह बनाम गोगी व अन्य राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय ने उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय दिनांक 12/12/2005 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री अपास्त की गई तथा प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे खसरा नम्बर 122, 311, 313 एवं 8 के संबंध में तहसीलदार, फलोदी से दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में व हस्ताक्षर सहित बटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात ही विभाजन बाबत अंतिम डिक्री पारित की जावें। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह विवेचित किया कि यह विभाजन प्रस्ताव जो कि दिनांक 19/4/2004 का प्रस्तुत हुआ था वह भू अभिलेख निरीक्षक, लोहावट द्वारा तैयार किया गया, जिस पर तहसीलदार, फलोदी के हस्ताक्षर नहीं है तथा

अपील/टी.ए./695/2006/जोधपुर

विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के पूर्व पक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने हेतु कब सूचित किया गया, यह भी इस प्रकरण में प्रकट नहीं है। अतएवं अपीलीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किये जाने के फलस्वरूप विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये है, जो हमारी सुविचारित राय अनुसार पूर्णतया विधिम्मत है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 26/12/2003 को भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 26–2003 की पालना में पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में पुनः नम्बर पर ली गई थी और इस आदेशिका में तहसीलदार, फलोदी को आदेशित किया गया कि वह उपरोक्त चारों खसरा नम्बरान का प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। यह प्रस्ताव दिनांक 20/4/2004 को प्राप्त हुआ और इसके पश्चात दिनांक 28/6/2004 को प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई है। तहसीलदार (भू अभिलेख), फलोदी द्वारा पत्र क्रमांकः 1038 दिनांक 19/4/2004 द्वारा सहायक कलेक्टर, फलोदी को विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार के हस्ताक्षर से पत्र के संलग्न कर भिजवाया गया, जो स्पष्टतया भू अभिलेख निरीक्षक, लोहावट द्वारा तैयार किया गया तथा उसके साथ में नजरी नक्शा भी संलग्न था और उस पर हीरा देवी तथा गणेशाराम के हस्ताक्षर थे जबकि अन्य लोगों के इस पर हस्ताक्षर नहीं थे। पत्रावली पर इस प्रकार की साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है कि सभी पक्षों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचना दी गई अथवा नहीं। हमने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2017(1) आर.आर.टी. पेज 689 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है, जिसमें प्रतिपादित किया गया है किः–

14- We are of the opinion that the Tehsildar will issue a notice toall the concerned parties that they have to be present for preparation of partition proposal at the site and the Tehsildar with concern ILR and patwari be present on the date and time given by the Tehsildar and will collect the relevant material and prepare the report there on and will send it to the learned SDO. The Tehsildar shall prepare the proposal for division under his own seal and signature, he cannot simply forward the report submitted by ILR patwari and draftsman.

15- As discussed above, we are of the considered opinion that it is mandatory for Tehsildar that he himself inspect the site and prepare the proposal for divison of holdings. He may entrust the ministerial work to its subordinate Naib Tehsildar, ILR or patwari etc., for preparation of map and demarcation of sub-divided filed and filing of colour. It will be imperative upon the Tehsildar that he himself prepare the report under his seal and signatur, he cannot forward the

अपील/टी.ए./695/2006/जोधपुर

report prepared by IRL, patwaria nd draftman without application of his mind.

इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू करने के लिये नियम बनाये गये है, जिसमें नियम 20 के अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा किसी वाद में पारित डिक्री या आदेश जो कि एक या अधिक सह आसामियों के बीच जोतों के विभाजन किराये के वितरण जो कि कई भागों में विभाजित किये गये हो, के संबंध में सिद्धान्त निष्पादित किये गये है और नियम 21 के अनुसार तहसीलदार प्रत्येक पार्टी को आवंटित किये गये प्लाटों को अलग अलग रंगों में दिखाते हुए नक्शे बनायेगा और उसे रिकार्ड में रखेगा और यदि किसी खेत का उप विभाजन किया गया हो तो वह पार्टियों के खर्चे पर भागों को सीमांकन करेंगा। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निष्कर्ष/निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्य परक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके अतः अपीलार्थीण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं।

परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 12/12/2005 विधिक होने से पुष्टी योग्य है, जिसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष

अपील/टी.ए./695/2006/जोधपुर